(राजस्व वाद संख्या :– 74 /2017 अनवान दीदारसिंह बनाम हुकमसिंह)

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत 2 एम.एल.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 74/2017

1. दीदारसिंह
2. शिवराजसिंह

} पिसरान हुकमसिंह जाति जटसिख निवासी 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड ठाकरावाली ढ़ाणी तहसील जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. हुकमसिंह पुत्र गेजसिह जाति जटसिख निवासी 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड ठाकरावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 23.05.2017**

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 2 एम.एल. में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 अपनें पिता के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 115/113 मुरब्बा नम्बर 32, 49, 50 का कुल रकबा 9.133 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा तथा चक 13 एल.एन.पी. प्रथम के खाता संख्या 21/33 के मुरब्बा नम्बर 21 का कुल रकबा 3.075 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा इसी प्रकार से चक 14 एल.एन.पी. के खाता संख्या 63/61 मुरब्बा नम्बर 10, 11 का कुल रकबा 2.783 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज जमाबन्दी खातेदारी है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमि जो कि मुझ मिकर के दादा गंगासिंह पुत्र श्री मिढ़ढासिंह से जरिये बंटवारा प्राप्त पैतृक कृषि भूमि है, जिसका प्रार्थी अपनें जीवन काल में अपनें दोनों पुत्रों के मध्य उक्त वर्णित कृषि भूमि में से चक 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 115/113 मुरब्बा नम्बर 32, 49, 50 का कुल रकबा 9.133 हैक्टर नहरी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज जमाबन्दी खातेदारी है।

वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है और प्रतिवादी संख्या 1 को उनके दादा गंगासिंह पुत्र श्री मिढ़ढासिंह से जरिये बंटवारा प्राप्त पैतृक कृषि भूमि है। तमाम सम्पत्ति जद्दी जायदाद है, जिसमें वादीगण संख्या 1 व 2 का अपनें पिता प्रतिवादी संख्या 1 के बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा कानूनन बनता है तथा वे हकदार व अधिकारी है, एवम् वादीगण अपनें हिस्से की उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवानें के हकदार व अधिकारी है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को धमकी दे रहा है, कि मै तमाम सम्पत्ति को बेचान करके अन्यत्र सम्पत्ति खरिद लेगा, जिसे सम्पत्ति उनकी निजी हो जावेगी और वादीगण उनसे कोई हक व हिस्सा नहीं ले सकेगे। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनें मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण अपनें हक व हिस्सा की जद्दी जायदाद से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगे। और वादीगण को बहुत भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से हर्जाना से नहीं हो सकेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 को बार–बार आग्रह किया कि वे उनके नाम से दर्ज कृषि भूमि जद्दी जायदाद होने व वादीगण का उनमें जन्म से हक हिस्सा 2/3 हिस्सा होनें का मानकर वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवाये तथा बिना जरूरत जायज बिना मुफाद खानदान के मुन्तकिल करनें से वाज व ममनू रहे मगर टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 15.05.2017 को साफ इन्कारी कर दी तथा इनकी इन्कारी से वाद कारण उत्पन्न हुआ।

उक्त जद्दी जायदाद में वादीगण का जन्म से ही हक हिस्सा कानूनी बनता है तथा वादीगण अच्छी में से अच्छी भूमि प्राप्त करनें के अधिकारी है तथा वादीगण अपनें हिस्से का बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपनें नाम से अंकन करवानें का अधिकारी है।

अतः वादी वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. वादीगण के नाम से चक 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 32, 49, 50 का कुल रकबा 9.133 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर बंटवारा किया जाकर खातेदारी दर्ज की जावे।
2. अन्य अनुतोष जो वादीगण के हक में एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्ध अदालतवाला उचित समझे फरमाये जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी भी शिविर में उपस्थित आया प्रतिवादी को लोक अदालत के बारें में विस्तृत रूप से समझाया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सहमति पत्र (राजीनामा) पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि हमारी पैतृक भूमि वो चक 13 एल.एल.पी. सैकिण्ड की जमाबन्दी में खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 32, 49, 50 में कुल 9.133 हैक्टर नहरी खातेदारी दर्ज है, हमारा आपस में बंटवारे सम्बंधी जो विवाद था उसमें ग्राम के मौतबिरान लोगों व रिश्तेदारों से समझाईश से राजीनामा करवा दिया है अतः लोक अदालत की भावाना से हम राजीनामा करना चाहते है। उक्त भूमि को हम पिता पुत्रों की आपसी सहमति से मौके पर निम्न प्रकार से बांटकर काश्त कर रहे है।

दीदारसिह एवम् शिवराजसिंह पुत्रगण हुक्मसिंह को चक 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड के मुरब्बा नम्बर 32, 49, 50 में हुक्म सिंह के 1/2 हिस्से में खातेदार दर्ज किया जावे चुँकि हुक्मसिंह के पास चक 13 एल.एन.पी. प्रथम के मुरब्बा नम्बर 21 का 3.075 हैक्टर में 1/2 हिस्सा एवम् चक 14 एल.एन.पी. मुरबा नम्बर 10 व 11 कर कुल 2.783 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज है।

हम पिता पुत्रों में आपसी सहमती से चक 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड में मेरे स्थान पपर दीदारसिंह, शिवराजसिंह पिसरान हुक्मसिंह को बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जावे।

उभय पक्ष को राजीनामा मजमे आम में पढ़ का सुनाया गया उपयपक्ष नें लोक अदालत की भावना से वाद पत्र को स्वीकार करनें का निवेदन करते हुए राजीमान (सहमति पत्र) को स्वीकार किया। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर राजीमान (सहमति पत्र) को तदस्दीक किया गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत हुआ जिसमें कथन किया कि वाद में वर्णित भूमि पैतृक भूमि होनें से पिता पुत्रों द्वारा आपसी सहति से विभाजन करना चाहती है। जो लोक अदालत की भावना से विभाजन किया जाता है तो स्टेट को कोई एतराज नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा होनें के कारण वाद वादी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

अतः उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा को स्वीकार किये जानें पर वाद पत्र विधि अनुसार एवम् लोक अदालत की भावना के अनुरूप है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 हुक्मसिंह पुत्र गेजसिंह के नाम से चक 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 115/113 के मुरब्बा नम्बर 32, 49, 50 का कुल रकबा 9.133 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा में हुक्मसिंह पुत्र गेजसिंह का नाम कल्मजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण दीदारसिंह व शिवराजसिंह पुत्रान हुक्मसिंह निवासी 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड ठाकरावाली ढ़ाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 23.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 2 एम.एल. में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर